

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २४३] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर २३, १९७२/आश्विन १, १८९४

No. 243] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972/ASVINA 1, 1894.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd September 1972

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 62-Customs, dated the 22nd June, 1971, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, in item I, after S. No. 29 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(30) Tretamine Tablets and Injections.

(31) Cyclophosphamide Tablets and Injections.

(32) Busulphan Tablets.

- (33) Mercaptopurine Tablets.
- (34) Caphaloridine Injections.
- (35) Chlorambucil Tablets.
- (36) Penicillamine Capsules.
- (37) Blood Albumin (Human) in a form ready for use
- (38) Vassopressin Spray.
- (39) Practolol Tablets and Injections.
- (40) Quinidine Sulphate Intravenous Injections
- (41) Leucovorin Calcium Injections.
- (42) Cytoser Injections.
- (43) Procarbazine Hydro-chloride Capsules.
- (44) Melphalan Tablets and Injections.
- (45) Cerubidin Injections.
- (46) Racemic Phenylalanine Nitrogen Mustard Hydrochloride Tablets and Injections.
- (47) Pyridinol Carbamate Tablets.
- (48) Clofazimine Capsules.
- (49) Anti-D Immunoglobulin (Human) in a form ready for use."

[No. 112/F. No. 9/21/70-Cus.V.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग,

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 1972

सा० का० नि० 415(अ) .—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 62 सीमा-शुल्क तारीख 22 जून 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में मद 1 में क्र० सं० (29) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किए जाएंगे. अर्थात् —

- “(30) ट्रेटामाइन गोलियां और इन्जेक्शन
- (31) साइक्लोफोसफामाइड गोलियां और इन्जेक्शन
- (32) बुमूलफान गोलियां
- (33) मरकेप्टोप्यूरीन गोलियां
- (34) मेफालोरोडाइन इन्जेक्शन

- (35) क्लोरमब्यूसील गोलियां
- (36) पेनिसिलामाइन कैपसूलें
- (37) प्रयोग के लिए तैयार रूप में ब्रलड एन्ब्युमिन (मानव)
- (38) वासोप्रेसीन स्त्रे
- (39) प्रैक्टोलोल गोलियां और इन्जेक्शन
- (40) क्वीनोडाइन सल्फेट अन्तः शिरा (इन्ट्रावेनश) इन्जेक्शन
- (41) न्यूक्लोवोरीन कलक्लम इन्जेक्शन
- (42) साइटोसार इन्जेक्शन
- (43) प्रोकारबजाइन हाइड्रो-क्लोराइड कैपसूलें
- (44) मेल्फ्लान गोलियां और इन्जेक्शन
- (45) मेरबिडीन इन्जेक्शन
- (46) रेसमिक फेनीलालेनाइन नाइट्रोजन मसटर्ड हाइड्रोक्लोराइड गोलियां और इन्जेक्शन
- (47) पिग्निडोनोल कबमिट गोलियां
- (48) क्लोफाजिमाइन कैपसूलें
- (49) प्रयोग के लिए तैयार रूप में एन्टी-डी इम्प्यूनोग्लोब्यूलिन (मानव)"

[सं० 112/फा० सं० 9/21/70-सीमा V]

वि० रा० सोनालकर. उप मन्त्रि ।

